न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/2016

साधुसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

कुन्दनसिंह पुत्र नत्थासिंह जाति मजहबी सिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 24.05.2016

उपस्थितिः—

श्री कुलवन्त सिंह संधू, अभिभाषक अपीलांट

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक :— 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य में इस प्रकार है कि प्रार्थी/ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी/ रेस्पो. ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थी ने काउन्टर क्लेम पेश कर रखा है। विवादित भूमि चक 2 एल बडा के मु.नं. 47 की 21 बीघा अपीलांट के पिता को आवंटन की गई थी। अपीलांट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में वसीयत कर दी। प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी के कांउटर क्लेम का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः वाद में प्रस्तुत कांउटर क्लेम के निर्णय तक अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है। विवादित भूमि जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। समस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार नत्थासिंह को नहीं था। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2016 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र, अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हर प्रकार से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता था। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र तथ्यों के विपरीत जाकर खारिज किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाशक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि नत्थासिंह को आवंटन हुई थी उसे समस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। समस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया है जबकि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होकर विवादित भूमि पर काबिज है। अतः वह रेस्पों. को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक हिस्सा है कि जमाबन्दी सम्वत 2067–70 चक 2 एल बडा के खाता सं. 62/52 मु.नं. 47 के 5.5660है0 भूमि साधुसिंह पुत्र नत्थासिंह के नाम से दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में विवादास्पद भूमि पर साधुसिंह काबिज है। मूल वाद एवं जिला कलक्टर के यहां प्रकरण पैण्डिग है। मूल प्रकरण में निगरानी में अधिकार तय होगें। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सन्दर्भ विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रकरण लम्बित रहने के दौरान ही invoke योग्य है जैसाकि धारा 212 की opening lines है provision of injunction – If in thes course of any suit or proceeding under tenancy Act.

अधी. न्यायालय का यह विवेचन कि विवादित आराजी अपीलांट साधुसिंह पुत्र नत्थासिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अपीलांट के कब्जे में है भी विवेचित है फिर भी अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि की रक्षा के लिए विधिक कवच धारा 212 का अनुतोष नहीं मिलना विधि विरूद्ध है। अतः अधी. न्यायालय का विवेचन ही अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति साबित करते हैं। तदनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अधी. न्यायालय में मूल वाद में कांउटर क्लेम के निर्णय तक विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं प्रार्थी/अपीलांट को बेदखल नहीं किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर